सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

23 जुलाई, 2024

सप्तदश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 23 जुलाई, 2024 ई0

द्वादश सत्र — 01 श्रावण, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई भी बैनर नहीं दिखायेगा । अभी प्रश्नोत्तर काल है । प्रश्नोत्तर काल आपके ही होते हैं । आप पूछ लीजिए, अवध विहारी बाबू से, वे क्या कहते हैं ? जो विषय उठाना होगा शून्य काल में उठाइयेगा । जब समय आयेगा तब उठाइयेगा । बंद करिए, बंद करिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, नियम के तहत चलिए । गलत काम कीजिएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । सभी कागज छीन लीजिए, कागज हटाइये ।

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । समय पर आपकी बात सुनी जायेगी ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-1 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0-21, ढाका)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, 1-उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वर्तमान में बिहार राज्य में ई-कचरा के वैज्ञानिक विधि से निपटान हेतु बिहार राज्य...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल के बाद वे विषय लिये जायेंगे । अभी आपलोग अपने स्थान पर बैठिए । अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दो (02) औद्योगिक इकाइयों को स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति स्वीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

(1). श्री रामसागर ई-वेस्ट रिसाइक्लर्स एण्ड ट्रेडर्स, ग्राम-खरसाम, पोस्ट-परसा, थाना-हथौरी, ब्लॉक-शिवाजीनगर, जिला-समस्तीपुर एवं..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गला बैठ जायेगा । अपने स्थान पर बैठ जाइये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : (2). श्री यू.एस.एच. इंडिया रिसाईक्लर्स प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, बारूण, जिला- औरंगाबाद ।

इन इकाईयों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा विकसित Centralized E-Waste EPR Portal पर

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : वेल से कही गयी कोई भी बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी, प्रिंट मीडिया में नहीं जायेगी। अपने स्थान पर बैठिए । समय पर अपनी बात कहिएगा, सुनी जायेगी ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : पंजीकरण के पश्चात् संचालन की अनुमति मिल सकेगी ।

3- उपरोक्त वर्णित प्लांट के स्थापना के पश्चात् ई-कचरा का निपटान सुनिश्चित हो सकेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि सरकार ने ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देकर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रभाव को कम करने के लिए जिन इकाईयों का जिक्र किया है वह चालू नहीं है, वह पूर्णत: बंद है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो इकाई बंद है उसको चालू करने के लिए और...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शकील साहब, शकील साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए यह गलत बात है । यह गलत बात है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय में इस प्रकार का कचरा प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक इकाई स्थापित करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ? रखते हैं तो कब तक रखते हैं ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, हमने स्पष्ट कहा है कि सरकार इस मामले में काफी गंभीर है । सरकार चाहती है कि बिहार में वैज्ञानिक विधि से ई-कचरा का निपटारा किया जाय ।

महोदय, उसी दृष्टिकोण से बिहार राज्य में ई-कचरा का वैज्ञानिक विधि से निपटान हेतु बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दो (02) औद्योगिक इकाइयों को स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति स्वीकृत की गयी है, जो निम्न प्रकार है:-

(1). श्री रामसागर ई-वेस्ट रिसाइक्लर्स एण्ड ट्रेडर्स,

(2). श्री यू.एस.एच. इंडिया रिसाईक्लर्स प्रा.लि.

इन इकाईयों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा विकसित Centralized E-Waste EPR Portal पर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जाकर बोलिए ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : पंजीकरण के पश्चात् संचालन का निर्णय सरकार ने लिया है और जल्दी ही चालू कराया जायेगा ताकि आने वाले समय में बिहार में ई-कचरा की जो समस्या है उसका निदान होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, इसकी निविदा कब हुई ? निविदा अगर हुई तो ससमय कचरा प्रबंधन चालू क्यों नहीं हो पाया ? महोदय, पूरे राज्य में एक भी चालू नहीं है । माननीय मंत्री जी तीन का जिक्र कर रहे हैं लेकिन चालू नहीं हुआ, तो इसकी निविदा कब हुई थी और इसको समापन करने का समय कब था ?

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं विस्तार से समीक्षा कर लेता हूं और पूरी जानकारी भी माननीय सदस्य को करा दूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-2 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156, भागलपुर)</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-3 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-194, आरा)</u>

अध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को ही है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : समय पर दिया जायेगा । उसके बारे में समय पर रखिएगा । प्रश्नोत्तर काल के बाद विषय को रखिएगा । (व्यवधान जारी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : इस संबंध में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-3270/2024 इब्तेशाम शाहीन बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 01.04.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभाग के स्तर से आदेश पारित है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः यह प्रश्न भी जनहित का है । जनहित का प्रश्न आप नहीं सुनना चाहते हैं। जनता के हित की चिंता नहीं है आपको । क्या चाहते हैं कि सदन नहीं चले ?

(व्यवधान जारी)

श्री सुनील कुमार,मंत्रीः जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्य करने हेतु निदेशित किया गया है ।

अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसे दृष्टांत आते हैं तो हमारे पास लायें, हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे । धन्यवाद महोदय ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं जानना चाहता हूं यह तो अदालत का निर्णय है जो 01.04.2024 को आया था लेकिन इसके पहले जो हजारों लोग बिहार के निवासी, जो वंचित हो गये नौकरी पाने से उनके संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का कोई दृष्टांत आपके पास है, अगर अभ्यावेदन देंगे तो उस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे लेकिन हमारे संज्ञान में सभी ऐसे मामलों को देखा गया है । अगर कोई मामला आता है और किसी की अर्हता सही है तो उस पर हम निर्णय लेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं आपके संज्ञान में खासकर सरकार को देना चाहता हूं कि सरकार ने एक लाख साढ़े सात हजार शिक्षकों की बहालियां की, जो दूसरी बहाली थी उसमें उसमें 40 हजार जो बाहर के दूसरे प्रदेश के थे , वे लोग और साढ़े 37 हजार वे लोग थे जो पहले से नौकरी में थे । महोदय, एक लाख साढ़े सात हजार नौकरी देने का जो दावा किया गया था सरकार की तरफ से मैं उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उस संबंध में क्या होगा ?

महोदय, दूसरी बात एक और सुन लिया जाय । महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं दिव्यांगों के संबंध में, महोदय, दिव्यांगों के संबंध में 25.05.2024 की जो बहाली हुई...

(व्यवधान जारी)

उसका यह आथेंटिक सूचना है कि 43 अभ्यर्थियों का, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको चयनित किया गया और उनको नौकरी मिली लेकिन उसमें से बिहार के सिर्फ 08 दिव्यांग ही बहाल हो सकें । महोदय, उनका क्या होगा ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये अमरेन्द्र बाबू । माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिया गया था कैबिनेट के द्वारा कि जो भी इसमें, परीक्षा में..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शून्य काल के समय । प्रश्नोत्तर काल के बाद ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : दो तरह की परीक्षाएं हुईं । जो कमीशन के द्वारा परीक्षा हुई उसमें न सिर्फ बिहार के बल्कि बिहार के बाहर के लोगों को भी मौका दिया गया और दूसरी जो परीक्षा थी वह सक्षमता परीक्षा थी । उसमें जो लोग पूर्व से नियोजित शिक्षक थे वे ही परीक्षा में बैठे थे । इसलिए उस तरह की पारदर्शिता भी रखी गयी उसमें, अगर बाहर के कोई दिव्यांग क्वालीफाई करते हैं तो उन्हें नौकरी देना हमारी अनिवार्यता थी । अगर कोई मामला माननीय सदस्य हमारे संज्ञान में लायेंगे, अगर कोई छूट गया है तो निश्चित रूप से हम उस पर ध्यान देंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : स्कूल के बच्चे देख रहे हैं और आपके दल के बारे में भी समझ रहे हैं । आपलोग अपने स्थान पर चले जाइये । माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जाकर बैठिए । टेबल मत पीटिए, मत पीटिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिहार के..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं । आप बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यगण अपने आसन पर जाकर जो कहना चाहते हैं अगर वे कहें तो सरकार उनकी बातों का संज्ञान लेकर सरकार अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है । हम तो चाहते हैं कि आसन पर वे लोग जाकर बोलें । सरकार भी स्थिति बतायेगी.. ..

क्रमशः..

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : और महोदय ये वही लोग हैं जिनके समय में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज किया गया था, ये वही लोग हैं । आज अगर ये लोग सदन में अपने आसन पर जाकर बोलें, तो सरकार अपना पक्ष रखने को तैयार है, हम अभी रख सकते हैं । ये अपने आसन पर जाकर बोलें ।

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जाइये । अपने आसन पर जाकर बोलिये । वहां पर जाकर बोलेंगे तब न । अपने-अपने आसन पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिहार के अभ्यर्थियों को संरक्षित करने के लिए और गारंटी देने के लिए डोमिसाइल नीति बनाना चाहती है ?

अध्यक्ष : सरकार सजग है, सतर्क है, पूरी चिंता कर रही है । आपकी बात का संज्ञान सरकार ने लिया है । बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

बच्चे देख रहे हैं और आपके बारे में समझ रहे हैं कि क्या सोचते हैं आप ?

अल्पसूचित प्रश्न सं0-4, श्री अनिल कुमार(क्षेत्र सं0-24, बथनाहा(अ0जा0)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सदन ऑर्डर में नहीं है और मैं आसन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लोग दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं और विकास विरोधी हैं ।

जैसा माननीय सदस्य ने सवाल किया, तो वस्तुस्थिति यह है कि-

राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में दिनांक-19.09.2020 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज हत्या के मामले में, जिनमें मृतक कमाऊ सदस्य (महिला या पुरुष) हैं, में न्यायालय द्वारा आरोप गठन के उपरांत पात्र आश्रित को परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद पर नौकरी देने का प्रावधान है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अनिल कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय द्वारा आरोप गठन की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है । इस बीच सरकार आश्रित परिवार, जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आसन पर जाकर बोलिये । आसन पर जाइये, बोलने का मौका देंगे ।

श्री अनिल कुमार : तो सरकार इसके लिए क्या काम करती है । महोदय, दूसरी चीज है कि पर-कैपिटा इनकम के मामले में आज भी अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति बेहद दयनीय है। महोदय, क्या विभाग के पास ऐसा कोई डेटा है, क्या पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने, विभाग ने ऐसा कोई डाटा तैयार किया है ? क्या ऐसा कोई डेटा उनके पास है कि कितनी महिला कमाऊ सदस्य की हत्या की स्थिति में आश्रितों को सहायता जैसे- नौकरी, पेंशन या सहायता राशि दी गयी हो ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

श्री जनक राम, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हम बताना चाहते हैं कि राज्य में जहां भी अनुसूचित जाति/जनजाति को अत्याचार निवारण के तहत, हत्याएं अगर होती है तो तत्काल रूप से 8.25 लाख रुपया मृतक परिवार के आश्रितों को दिया जाता है । जैसा माननीय सदस्य ने यह जानने का प्रयास किया है, पूरा डाटा हम आपके माध्यम से उनको उपलब्ध करवा देंगे कि बिहार में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण में कहां-कहां कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवायी गयी है ।

श्री अनिल कुमार : मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : क्या सदन नहीं चलाने का मन है ? जाइये, सब बच्चे आपको देख रहे हैं । अवध बिहारी बाबू, समझाइये न । आप यहां बैठकर क्या करते थे, समझाइये ।

(व्यवधान जारी)

अब सभा की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/धिरेन्द्र/23.07.2024

(स्थगन के उपरांत)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

बोलने तो दीजिये । महोदय क्या ? बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने हैं, उसे मैं लेता हूँ । शेष निर्धारित कार्य इसके बाद लिये जायेंगे ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठियेगा तब न बात होगी । अभी रिपोर्ट ले हो रहा है, रिपोर्ट ले हो जाने के बाद लेंगे । बैठिये, बैठ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2021-2022 एवं 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-221 एवं 222, दिनांक-15.06.2023 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-221 एवं 222, दिनांक-15.06.2023 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

(व्यवधान जारी)

आप क्या कर रहे हैं ? इसके बाद करेंगे न बातचीत । बैठिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-60, दिनांक-23.01.2024, एस॰ओ॰-59, दिनांक-04.01.2024, एस॰ओ॰-358, 357, दिनांक-23.11.2023, एस॰ओ॰-353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, दिनांक-19.10.2023, एस॰ओ॰-344, 343, 342, दिनांक-17.10.2023, एस॰ओ॰-264, 263, 262, 261, 260, 259, दिनांक-05.10. 2023, एस॰ओ॰-243, 242, 241, 240, 239, दिनांक-30.09.2023, एस॰ओ॰-236, 235, 234, 233, 232, 231, दिनांक-21.08.2023, एस॰ओ॰-229, 228, 227, 226 एवं 225, दिनांक-26.07.2023 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या-एस॰ओ॰-60, दिनांक-23.01.2024, एस॰ओ॰-59, दिनांक-04.01.2024, एस॰ओ॰-358, 357, दिनांक-23.11.2023, एस॰ओ॰-353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, दिनांक-19.10.2023, एस॰ओ॰-344, 343, 342, दिनांक-17.10.2023, एस॰ओ॰-264, 263, 262, 261, 260, 259, दिनांक- 05.10.2023, एस॰ओ॰-243, 242, 241, 240, 239, दिनांक-30.09.2023, एस॰ओ॰-236, 235, 234, 233, 232, 231, दिनांक-21.08.2023, एस॰ओ॰-229, 228, 227, 226 एवं 225, दिनांक-26.07. 2023 की प्रति सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ।

(व्यवधान जारी)

सारे बच्चे आपका चरित्र देख रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार वन्य प्राणी संरक्षण नियमावली, 1973, बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन (विनियमन) नियमावली-1973, बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन (विनियमन)(संशोधन) नियमावली-2002, बिहार वृक्ष विक्रय नियमावली, 2004, बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र (स्थापना एवं संचालन) उप नियम, 2014, बिहार वन सेवा नियमावली, 2013, बिहार वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठियेगा, तब न बात करेंगे । रिपोर्ट ले हो रही है, दो मिनट का काम है ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2013, बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2020, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013, बिहार अवर वन सेवा

(संशोधन) नियमावली, 2014, बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018, बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019, बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते), नियमावली, 2020....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, इसके बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव लेंगे । नहीं बैठियेगा तो नहीं लेंगे । बैठ जाइये।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग, क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2013, बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग, क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2013, बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2013, बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2013....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अपने उम्र का तो ख्याल कीजिये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2016, बिहार वन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2017 की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-101(3) के तहत बिहार दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2004 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव लें या नहीं लें ?

(व्यवधान जारी)

बैठियेगा तब न लेंगे । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

बैठिये । यह क्या है ? आपने प्रस्ताव दिया है । बैठियेगा तब न ।

(व्यवधान जारी)

बैठिये, नीचे आइये । कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ अगर ऐसे कीजियेगा तो । नीचे आइये ।

(व्यवधान जारी)

आप लोगों को कार्य स्थगन प्रस्ताव में कोई रूचि नहीं है । प्रस्ताव दिये हैं तो बैठिये और बोलिये । जाइये अपने आसन पर । अगर आप अपने आसन पर जायेंगे नहीं तो हम कैसे कार्य स्थगन प्रस्ताव लेंगे ।

(व्यवधान जारी)

कैसे होगा ? बताइये आप । आप बैठिये, तब होगा । बैठ जाइये, कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना हम ले रहे हैं । नहीं बैठियेगा तो हम कैसे लेंगे, बताईये । इसका मतलब कोई रूचि आपको विषय में नहीं है । आज आपने दिन में टेलीविजन लगता है कि देख लिया है, वित्त मंत्री जी का बजट भाषण सुन लिया है, आप अंदर से प्रसन्न हैं । इसलिए कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाना चाहते हैं, यह मैसेज जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–23 जुलाई, 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । कार्य स्थगन प्रस्ताव ले रहे हैं । बैठियेगा तब न लेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री सत्यदेव राम, श्री राम रतन सिंह, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री रामबली सिंह यादव, श्री महा नंद सिंह, श्री संदीप सौरभ, श्री अरूण सिंह, श्री सूर्यकांत पासवान, श्री अजीत कुमार सिंह...

(व्यवधान जारी)

आप मुझे विवश मत कीजिये । मैं आप ही लोगों का नाम पढ़ रहा हूँ और तब आपका यह रवैया है तो आप विचार कीजिये अपने व्यवहार पर । मुझे कुछ नहीं कहना है । आपके प्रस्ताव को ही पढ़ रहा हूँ और तब अगर आपका यह हाल है तो इस प्रस्ताव के प्रति आपकी क्या रूचि है, यह साफ दिखाई पड़ती है । सरकार का प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अरूण सिंह, श्री सूर्यकांत पासवान, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री विनय कुमार गुप्ता, श्री गोपाल रविदास, श्री अमरजीत कुशवाहा एवं श्री विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

दूसरा है, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री शकील अहमद खाँ, श्री अजय कुमार, श्री रणविजय साहू, श्री रामानुज प्रसाद एवं श्री मुकेश कुमार यादव ।

तीसरा, श्री अजीत शर्मा ।

(व्यवधान जारी)

जब तक स्थान पर नहीं जाइयेगा, कुछ नहीं बोलेंगे । अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-4/संगीता/23.07.2024

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

(व्यवधान जारी)

श्री मुरारी मोहन झा ।

(व्यवधान जारी)

क्यों सुनें आपकी बात बताइए । आपके प्रस्ताव पर बोल रहे थे, आप अपने स्थान पर नहीं बैठ रहे थे । आपलोग अपने स्थान पर जाइए तब आपकी बात सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निकायों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को नियमित कर नियत वेतनमान मिलना सुनिश्चित करें । सदन के माध्यम से मैं इसकी मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अनजार नईमी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री रामचन्द्र प्रसाद ।

(व्यवधान जारी)

बैठिए । अपने स्थान पर जाकर बात करिए । अपने स्थान पर जाकर कहिए । वेल से कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ना ही प्रोसीडिंग में जाएगी । आप अपने स्थान पर जाकर कहिए तब आपकी बात सुनी जाएगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत सुरहाचट्टी से हथौड़ी पथ में करेह नदी पर बने पुल के दोनों तरफ का एप्रोच पथ पूर्णत: जर्जर हो चुका है । जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है ।

अत: मैं सरकार से उक्त पथ का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन ।

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

माननीय सदस्य श्री महा नन्द सिंह ।

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह ।

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

(व्यवधान)

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

(व्यवधान जारी)

वेल से कही गई कोई बात संज्ञान में नहीं ली जाएगी । अपने सीट पर जाकर बोलिए ।

(व्यवधान जारी)

जो भी कहना हो सीट पर जाकर कहिए तब सुनेंगे नहीं तो नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल में संशोधन कर 15 लाख तक के विकास योजनाओं को पूर्व की तरह बिना टेंडर के कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल नगर परिषद के कई वार्डों में नाली की उड़ाही और सड़क निर्माण नहीं होने से बारिश का पानी आमजनों को आवागमन में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है ।

मैं सरकार से वार्डों को चिन्ह्ति कर नाली उड़ाही व सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत बगहा नगर परिषद के कालीघाट से पुअर हाउस तक गंडक नदी पर पक्का बांध नहीं होने के कारण कटाव का खतरा बना रहता है ।

अतः बगहा शहर के सुरक्षा हेतु कालीघाट से पुअर हाउस तक पक्का बांध निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री निरंजन राय ।

(सूचना नहीं पढ़ी गई)

श्री अरूण कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बरूराज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मोतीपुर नगर परिषद वार्ड-13 में स्थित मानसरोवर पोखर जो मोतीपुर नगर परिषद का हृदय स्थली है, को अतिक्रमण मुक्त करते हुए जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की मांग सरकार से करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अन्तर्गत कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक पावर सब स्टेशन है । क्षेत्र की लम्बाई एवं आबादी काफी है । बराबर बिजली की समस्या बनी रहती है । जमीन के अभाव में पावर ग्रीड सब स्टेशन का निर्माण लंबित है। सरकार से यथाशीघ्र जमीन उपलब्ध कराने की मांग करती हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : जाकर टेलीविजन देखिए, मन प्रसन्न हो जाएगा ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-5/सुरज/23.07.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जब मौका था तब बोले ही नहीं, अब क्या बोल रहे हैं । बोलिये माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आज सदन के प्रारंभ में ही, आपने जब सदन की कार्यवाही की शुरूआत की थी और आप सदन में जो लिस्टेड बिजनेस है उसको बढ़ाना चाह रहे थे तो हमारे सभी सम्मानित सदस्य विपक्ष के कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे और उस समय मैंने...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सुनिये न । सुन तो लीजिये पहले ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये बैचेनी ही कुछ कह रही है और हमने उस समय कहा था कि इन लोगों का जो कहना है उस पर सरकार अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहती है लेकिन सदन नहीं चला और हमारे एक तो पता नहीं शकील साहब अभी हैं नहीं, पॉकेट में झुनझुना लेकर आये थे । अब झुनझुना पॉकेट में चला गया और बिहार के विकास के लिये जो केन्द्र सरकार ने दिया है उसका डंका बज रहा है । महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये । सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसलिये अगर बिहार के हित में माननीय सदस्यों की सही मायने में कोई रूचि रही है तो आज सदन को केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहिये । क्योंकि जितनी मदद इस साल के बजट में बिहार को दी गयी है इतिहास में इतनी मदद कभी नहीं दी गयी है । अब इसका मतलब इनको बिहार...

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इनको बिहार के विकास में रूचि नहीं है । राजनीति करने में रूचि है । लेकिन आज बिहार की जनता प्रसन्नता से झूम रही है कि केन्द्र सरकार ने हमें इतना मदद दिया है और हर क्षेत्र में चाहे सड़क हो, अस्पताल हो, हवाई अड्डा हो, सिंचाई हो,

बाढ़ प्रबंधन हो । सबमें अद्वितीय मदद मिली है इसलिये हमलोग बिहार सरकार की तरफ से और सदन की तरफ से भी केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : बैठिये न, क्यों खड़े हो गये, यहां क्यों आ गये ? सरकार की ओर से कोई बात नहीं कही जायेगी क्या सदन के अंदर ? अच्छी बात सुनना खराब बात है क्या ?

(व्यवधान जारी)

अगर बिहार को कुछ दिया है केन्द्र सरकार ने तो बोलना खराब बात है क्या ? हमारे राज्य की भलाई के लिये है । आपका भी जिला हो सकता है, आपका भी विधान सभा क्षेत्र हो सकता है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान जारी)

आपको जब बोलने का अवसर था तब आप हल्ला कर रहे थे, आप बोले नहीं खड़ा होकर । हम आपको अवसर दिये थे कि जाइये बोलिये वहां, गये नहीं आप । अब नहीं होगा । अब बैठिये । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री नीतीन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

(व्यवधान जारी)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडश: लेता हूं ।

खंड-2, 3, 4 एवं 5 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2, 3, 4 एवं 5 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-6 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड-16 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-16 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16 इस विधेयक का अंग बना ।

(व्यवधान जारी)

क्यों आप यहां पर खड़े हैं ? जो हजारों करोड़ रुपया मिला है केन्द्र से, उसका विरोध करना चाहते हैं ? बिहार के विकास का विरोध करना चाहते हैं ? बैठिये अपने स्थान पर, बैठ जाइये ।

खंड-17, 18, 19, 20 एवं 21 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-17, 18, 19, 20 एवं 21 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-17, 18, 19, 20 एवं 21 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘नाम इस विधेयक का अंग बने । ’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-6/राहुल/23.07.2024

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

‘‘बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो।’’

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इससे पहले कि माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री जी के विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव पर सदन विमर्श करे, मैं एक बात की तरफ आसन का और इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । आज सुबह जो इस सदन में हुआ, आसन और बिहार की जनता उससे अवगत है । बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर, मांगने के नाम पर सदन की कार्यवाही बाधित की गयी और सदन की कोई कार्यवाही नहीं चलने दी गयी और कहा गया कि सरकार से जो मांग थी वह खारिज हो गयी है । महोदय, कल ही हमने कहा था और आज सुबह भी हमने कहा है कि जो आप बोल रहे हैं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं सरकार उस पर अपना पक्ष रखना चाहती है और हम यही सरकार की तरफ से सदन को बताना चाह रहे थे कि आज केन्द्र सरकार का बजट आने वाला है, कम से कम तब तक प्रतीक्षा कर लें । जहां तक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार की मांग है और बिहार की जनता की अपेक्षा है हम यह जरूर अपेक्षा करते थे कि या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले या विशेष मदद मिले । क्योंकि देखियेगा तो तीनों का अंत में अर्थ एक ही होता है कि बिहार के विकास के लिए अलग से कर्णांकित राशि बिहार सरकार को दी जाय और हमने कहा था लेकिन

इन्होंने तो कुछ कहा नहीं, चले गये और हमने कहा कि आज एक सदस्य, आपने आपत्ति भी की थी, पॉकेट में संसदीय परंपराओं को तार-तार करते हुए बच्चों वाला झुनझुना लेकर आये थे, झुनझुना दिखा रहे थे बिहार सरकार को और आज जब ये यहां बिहार के इस सदन में झुनझुना दिखा रहे थे उसी वक्त दिल्ली में संसद में बिहार के विकास के लिए जब वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की अनुमति से एक से एक योजनाओं के लिए बड़ी राशि की स्वीकृति की घोषणा कर रही थीं, ये झुनझुना इधर दिखा रहे थे और उधर बिहार के विकास के लिए राशि के आवंटन का डंका बज रहा था दिल्ली की संसद में और आज हमने अभी कहा था कि अगर सही मायने में आपको बिहार के विकास से रूचि है या संवेदनशीलता है, बिहार का विकास चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार ने जो अपने सीमित संसाधनों में अद्वितीय तरक्की और विकास की रफ्तार कायम करके केन्द्र सरकार को अपनी विश्वसनीयता और दक्षता से अवगत कराया है उस सिलसिले में मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा था, आज भी सुबह इन्होंने कहा है कि इंतजार करिये । हम लोग शुरू से कहते थे, हम लोग आशान्वित हैं और आज ये केन्द्र सरकार ने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एन0डी0ए0 की सरकार है उसकी दक्षता में, विश्वसनीयता में भरोसा करते हुए यह समझिये की अभूतपूर्व, किसी वर्ष बिहार केन्द्रित मतलब बिहार के लिए इतनी कर्णांकित राशि की घोषणा बजट में नहीं हुई थी और इसलिए हमने कहा कि अगर आप बिहार के विकास के प्रति ईमानदार हैं तो आज इस सदन को प्रधानमंत्री जी के लिए और केन्द्र सरकार के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए । महोदय, हम लोगों ने तो कहा है कि आज यह भले देखिये बिहार के विकास से इनको क्या मतलब है कि जब बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं आयी हैं जिसकी स्वीकृति या जिसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने घोषणा की है उसके बारे में कहिये तो इनको पचा नहीं, बिल्कुल नहीं पचा और साफ है कि इनको विकास की बात भी सिर्फ राजनीति के लिए ही करनी है, बिहार की जनता के हित से इनको कोई मतलब नहीं है और आज बिहार की जनता इस बात को देख रही होगी । बिहार के एक-एक लोग आज के बजट से कितने प्रसन्नचित, प्रफुल्लित होंगे यह सबके समझने की बात है लेकिन इनकी स्थिति देखिये कि सबकुछ छोड़कर, आज समझिये कितने महत्वपूर्ण विधेयकों का अधिनियमिकरण है और वह सुबह में हमने कहा था, महोदय, आपके माध्यम से हमने कहा था कि आज ये लोग बिहार के विकास और विशेष राज्य के दर्जा का घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं सबसे दुखद बात यही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को जब विशेष राज्य के दर्जा की श्रेणी में लाने

की मांग उठी थी तो सबसे पहले उसको उसी यू0पी0ए0 सरकार ने खारिज किया था जिसमें ये सभी सदस्य थे और आज उसी का रोना रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । महोदय, बिहार की जनता सबकुछ समझती है, पूरी तरह से बे-दार है, जागरूक है और इनके राजनीतिक हथकंडे में आने वाली नहीं है और आज जो केन्द्र सरकार ने किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है । महोदय, आज ही 2025 का एजेंडा सेट हो गया और साफ दिख रहा है कि यह एन0डी0ए0 सरकार का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भविष्य सुनहरा होने वाला है, अच्छा होना वाला है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, बिहार नगरपालिका विधेयक, 2007 में जो मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति थी उसके निर्वाचन का प्रावधान था परंतु वार्ड पार्षदों के द्वारा हर दो वर्षों में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था लेकिन इस अधिनियम से जो आज स्वीकृति के साथ पारित हो रहा है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद निर्वाचित होते हैं इनको हटाने की जो प्रक्रिया थी उसको विलोपित किया गया है । अब इनको पूरी तरह से पांच साल का कार्यकाल मिलेगा और लोकतंत्र में जिस प्रकार से इनको जनता चुनकर ला रही है, पूरे कार्यकाल में ये विकास की योजनाओं को गति प्रदान कर पायेंगे । दूसरा, इस संशोधन में जो मुख्य रूप से विषय था कि नगरपालिका अधिनियम से संबंधित प्रस्ताव में स्पष्टत: आयोजित होने वाली बैठकों में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी । राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लाये जाते थे कई बार उन प्रस्तावों में नगरपालिका के स्तर पर परिवर्तन किया गया था तो उक्त प्रावधान में यह संशोधन किया गया है कि नगरपालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के नियम और निर्देश के विरूद्ध किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा । यदि इस प्रकार का प्रस्ताव नगरपालिका की बैठक में लाया भी जाता है तो इसे मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा विचार हेतु राज्य सरकार को भेजा जायेगा और इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही होगा । एक बड़ा संशोधन यह है । तीसरा, जो विषय इसमें प्रमुख रूप से था, ऐसे कई मामले आते थे जिसमें नगरपालिका की समितियों की बैठक का कार्यवृत्त निर्गत करने में काफी विलंब होता था तो इस संशोधन के माध्यम से अब इस विलंब को रोकने के लिए एक सप्ताह के भीतर उनका जो भी कार्यवृत्त बना है उसको प्रसारित करना है और इस प्रावधान के लागू होने से नगरपालिका की समितियों की बैठक का कार्यवृत्त ससमय निर्गत होने लगेगा और उसके

कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय मिलने के कारण विकासात्मक कार्यों का और कार्यान्वयन में जिस अपेक्षित गति की उम्मीद की जा रही है वह प्रदान की जा सकेगी । साथ ही साथ उक्त प्रावधान में एक विषय जो मुख्यत: आता था कि नगरपालिका के काम को गति प्रदान करने के लिए कई विनियम आते थे तो उसकी दृष्टि से भी जो प्रावधान रहते थे कि विभाग में जिला जज के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान था उस प्रावधान के फलस्वरूप अपील के निस्तारण में विलंब होने की संभावना कई बार देखी जाती थी । इसमें संशोधन किया गया है अब उक्त संशोधन के फलस्वरूप नगरपालिका के कार्य संबंधी आपत्तियों का शीघ्र निपटारा किया जा सकेगा । जो डिविजनल कमीशनर होते हैं उनके स्तर पर भी इसका निपटारा किया जा सकेगा । साथ ही साथ बिहार नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत विनियम बनाने का जो प्रावधान है । उक्त प्रावधान के फलस्वरूप नगरपालिका स्तर पर विनियम बनाने में कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर भी विनियम बनाने का प्रावधान था, उसको किये जाने की आवश्यकता थी । उक्त संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा किसी भी विनियम को राज्य सरकार स्तर पर बनाया जा सकेगा । अब नगरपालिका स्तर पर उसके जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सहमति लेने के लिए। इन सभी संशोधनों से नगरपालिका और नगर विकास एवं आवास विभाग के काम में गति आयेगी । इसके लिए मैं यह स्वीकृति का प्रस्ताव लाया हूं ।

टन-7/मुकुल/23.07.2024

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक–31 अक्टूबर, 2024 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

खंड-2, 3 एवं 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को राज्य के पटना विश्वविद्यालय एवं अन्य परंपरागत विश्वविद्यालय तथा ललित नारायण मिथिला

विश्वविद्यालय, दरभंगा मगध विश्वविद्यालय (बोधगया), वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (आरा) इत्यादि में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने की शक्ति प्रदत्त है । राज्य के अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति करने की शक्ति आयोग को प्राप्त नहीं है, इसके कारण राज्य के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान यथा राजकीय महिला महाविद्यालय (गुलजारबाग), राजकीय महिला महाविद्यालय (गर्दनीबाग) एवं ग्रामीण प्रतिष्ठान (गिरोली) इत्यादि में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है, इसके लिए आयोग को शक्ति प्रदान किया जाना आवश्यक है । इस विधेयक को इस औचित्य से सदन में लाया गया ताकि उच्चतर जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं जिनको अलग-अलग तरीके से पहले, जिनकी नियुक्तियां होती थीं अब एकरूपता रहेगी और प्रभावी तरीके से सभी उच्चतर संस्थानों में नियुक्तियां होती रहेंगी। अतः मैं इसे पारित करने के लिए अनुरोध करता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 विचार हो ।"

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड-2 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अख्तरूल ईमान : मूव करेंगे । मान्यवर, इस वक्त जो इंटरनेट है, आई0टी0 है इससे इंकार नहीं किया जा सकता । महोदय, मैंने संशोधन दिया है कि

"विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 11(2)(फ) की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "ऑनलाइन पद्धति" को विलोपित किया जाय ।"

महोदय, चूंकि यहां पर इजाजत यह मांगी गई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा-11 की उपधारा 11(2)(फ) में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से ली जाएं । महोदय, मैं ऑनलाइन पद्धति से परीक्षाएं लिये जाने का मुखालिफ नहीं हूं । लेकिन मौजूदा वक्त में जो इस समय इंटरनेट की और सर्वर के डाउन होने की पद्धति है तो ऐसे वक्त में मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा । चूंकि बिहार की जो स्थिति है, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 61 फीसदी लोग, नेशनल रेट 55 फीसदी लोग है लेकिन बिहार में दुर्भाग्य से 30 प्रतिशत लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इस लायक न हमारा स्कूल है, स्कूल के बच्चे तो क्या स्कूल के टीचर भी अभी सही तौर पर कम्प्यूटर चलाना नहीं सीख पाये हैं और कम्प्यूटर के लिए जिनको बहाल किया गया है उनको भी कम्प्यूटर का पूरा ज्ञान नहीं हो सका है । इसलिए ऐसी स्थिति में ऑनलाइन एग्जाम लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए । चूंकि ये लोग दसवीं का, 10+2 का, डी0एल0एड0 का, बिहार टी0ई0टी0 का एग्जाम लोग लेते हैं । इसलिए ऐसा न करके पुरानी पद्धति से एग्जाम लिया जाय और जब ये लोग सक्षम हो जायें, इंटरनेट हमारा सही तौर पर काम करने लगे, हमारे लोगों में इतनी सक्षमता आ जाये तब यह प्रस्ताव लाया जाय । तत्काल इस प्रस्ताव पर मैं समझता हूं कि रोक लगाई जाये, इसको विलोपित किया जाय और पुरानी पद्धति से ही एग्जाम लिया जाय । महोदय, दूसरा भी इसमें मेरा संशोधन है ।

टर्न-8/यानपति/23.07.2024

अध्यक्ष : बाद में वह आएगा तो बोलिएगा । यह हो गया न । बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : इसमें मैं कह रहा हूं कि यह किया जाय । इसमें मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि 31 मार्च को रिजल्ट हुआ है मैट्रिक का और आज चार महीना हो रहा है, बच्चों को विधिवत तौर पर उनके मार्कशीट्स नहीं मिल पाए हैं ।

अध्यक्ष : अभी तो संशोधन की बात कीजिए न !

श्री अखतरूल ईमान : उसी पर मैं कह रहा हूं । सिस्टम क्या है हमारा, बी0एस0ई0बी0 खुद भी ऑनलाइन पर काम करने लायक नहीं हुआ है, स्कूल और स्कूल के बच्चे कैसे हो जायेंगे?

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : इसलिए इसको विलोपित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 11(2)(फ) की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह "ऑनलाईन पद्धति" को विलोपित किया जाय ।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 11(2)(ब) को विलोपित किया जाय ।"

सभी तरह के इम्तहान का जो मॉडर्न टेक्निक है मैं उसको चाहता हूं, अपनी बात मैं दुहरा कर कहूंगा कि इस वक्त इसको विलोपित किया जाय चूंकि यहां कहा यह गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित सभी तरह की परीक्षाओं में आधुनिक तकनीक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंप्यूटराइजेशन इत्यादि का प्रयोग किया जा सकेगा । अभी चूंकि यह सक्षम नहीं है, इलाके में बच्चे और स्कूल की जो हालत है वह इस लायक नहीं है इसलिए इसको हटाया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 11(2)(ब) को विलोपित किया जाय ।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक के खंड-3 के उपखंड (ii) में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 19(4)(क) के बाद निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"तथा अनुमोदन की प्रक्रिया 03 माह के अन्दर पूरी कर ली जाय।"

महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से नए इंस्टीच्यूट को एफिलियेशन दिया जाता है और जब तक उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसको एफिलियेट नहीं किया जा सकता है तो एफिलियेशन के लिए कोई टाइम बॉन्ड होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए इसलिए इसको 03 महीने के अंदर कराया जाय। चूंकि सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देना चाह रही है उसको ज्यादा लटकाया नहीं जाय बल्कि ऐसे वक्त में स्कूल को खोल दें, स्कूल को चलायें और 03 महीने के अंदर में उसकी रिपोर्ट पेश की जाय, यह अगर जोड़ दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इस पद्धति में सुधार होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"विधेयक के खंड-3 के उपखंड (ii) में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 19(4)(क) के बाद निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

"तथा अनुमोदन की प्रक्रिया 03 माह के अन्दर पूरी कर ली जाय ।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में दो संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5, 6 एवं 7 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-5, 6 एवं 7 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5, 6 एवं 7 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।"

महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक स्वशासी वैधानिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थियों के लिये परीक्षा संचालित करना एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक विकास करना है और चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा परीक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के लिये सदैव प्रतिबद्ध है । महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात रखी कि ऑनलाईन परीक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, हम समझते हैं कि ऑनलाईन की परीक्षा जरूर होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो यह जरूरी है कि हमलोग साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के भी पूरे जो हमारे छात्र-छात्रा हैं साथ बढ़ें और मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि जो भी परीक्षाएं

होती हैं एक्जामिनेशन सेंटर पर होती हैं तो इस तरह से कदाचार इत्यादि की जो शिकायतें हैं उसमें भी कमी आएगी और यह भी कहना चाहूंगा कि चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 को लागू हुए लगभग 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, डिजिटल पद्धति में परिवर्तन, सूचना एवं तकनीक के विकास एवं विस्तारीकरण से परीक्षाओं के दौरान गोपनीयता बनाये रखने की चुनौतियों का सामना करना है । राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अब किसी भी डिग्री महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी अतएव वर्तमान में लागू अधिनियम में समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन विधि से संचालित करने में आधुनिक तकनीक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंप्यूटराइजेशन का प्रयोग करने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संबद्ध संस्थानों की संबद्धता स्वीकृति से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करना आवश्यक एवं समीचीन है । इसलिए हमारी परीक्षाओं को सुदृढ़, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त करने के उद्देश्य से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 में संशोधन करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं अभीष्ट है, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इसे पारित करने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 जुलाई, 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-35 (पैंतीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, बचे हुये शून्यकाल की सूचना को पढ़वाने का तो अब कोई सवाल नहीं है, सभी को शून्यकाल समिति को भेज दिया जायेगा ।

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।